

## 'वविह का असाध्य रूप से टूटना' तलाक का आधार: सर्वोच्च न्यायालय

### प्रलिस के लयि:

संवधान का अनुच्छेद 142(1), हद्वि वविह अधनियिम (HMA), 1955, तलाक पर सर्वोच्च न्यायालयके फैसले

### मेन्स के लयि:

भारत में तलाक की मांग करने वाले लोगों के सामने कानूनी चुनौतियाँ, तलाक के मामलों में अनुच्छेद 142(1) का महत्त्व, वविह का असाध्य रूप से टूटना, भारत में वविह समानता पर सर्वोच्च न्यायालय और वधिआयोग - महिलाओं के सामने आने वाली चुनौतियाँ

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने [अनुच्छेद 142](#) द्वारा प्राप्त 'पूर्ण न्याय' करने की अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए फैसला सुनाया कि न्यायालय किसी दंपति के बीच सुलह की बलिकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति में वविह को भंग कर सकता है। दूसरी ओर, संबद्ध पक्षकारों को पारिवारिक न्यायालय में आपसी सहमति से तलाक के आदेश के लयि 6-18 महीने तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, ऐसे में सर्वोच्च न्यायालय की प्रक्रिया से त्वरति नरिणय की संभावना है।

### सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:

#### ■ फैसले:

- [\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\] \[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]\[?\]](#) के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया है कि न्यायालय के पास दंपति के बीच सुलह की बलिकुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति के आधार पर वविह को भंग करने की शक्ति है।
  - मूल मामला वर्ष 2014 में दायर किया गया था, जिसका शीर्षक शलिपा शैलेश बनाम वरुण श्रीनविसन था, जहाँ पक्षकारों ने अनुच्छेद 142 के तहत तलाक की मांग रखी थी।
  - न्यायालय [हद्वि वविह अधनियिम \(HMA\), 1955](#) के तहत तलाक के लयि अनविर्य छह महीने की प्रतीक्षा अवधि को खत्म कर सकता है और एक पक्ष के इच्छुक न होने पर भी सुलह की गुंजाइश न रहने के आधार पर वविह को भंग करने की अनुमति दे सकता है।

#### ■ शर्त:

## Larger public, personal interest

### 'IRRETRIEVABLE BREAKDOWN OF MARRIAGE'

"Court should be fully convinced... the marriage is totally unworkable, emotionally dead and beyond salvation and, thus, dissolution of marriage is... the only way forward. That the marriage has irretrievably broken down is to be factually determined and firmly established."

### FACTORS TO ESTABLISH BREAKDOWN

- 1 Time the parties lived together after marriage
- 2 When the parties last cohabited
- 3 Allegations made by parties against each other, their families
- 4 Orders passed in legal proceedings
- 5 Attempts made to settle disputes by court intervention, mediation
- 6 The separation period should be above six years

■ यह नरिणय महत्त्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान में हद्दिविवाह अधिनियम (HMA) 1955 के तहत दंपत्ति में सुलह की स्थिति नहीं होने पर तलाक का आधार नहीं है।

○ विवाह वधिच्छेद के लिये अभी भी कोई संहिताबद्ध अधिनियम नहीं है। हालाँकि हद्दिविवाह अधिनियम 1955, धारा 13 में विवाह वधिच्छेद के लिये कुछ आधारों की पहचान करता है।

■ नरिणय के नहितारिथः

○ सर्वोच्च न्यायालय के हालिया नरिणय का अर्थ यह नहीं है कलोग तुरंत तलाक के लिये सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकते हैं।

● दंपत्ति में सुलह न होने की स्थिति के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तलाक देना "अधिकार का मामला नहीं है, बल्कि विकल्पाधिकार है" जैसे बहुत सावधानी और सतर्कता से प्रयोग करने की आवश्यकता है।

○ सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि एक पक्ष भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 (या अनुच्छेद 226) के तहत रटि याचिका दायर नहीं कर सकता है और सीधे दंपत्ति में सुलह की स्थिति नहीं होने के आधार पर विवाह वधिच्छेद की मांग नहीं कर सकता है।

■ तुरुटिपूरण सदिधांत का त्यागः

○ 5-नयायाधीशों की पीठ ने हद्दिविवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 (1) के तहत "तुरुटि सदिधांत" और "तलाक के अभयोगात्मक सदिधांत" को त्यागने के लिये सर्वोच्च न्यायालय की आवश्यकता पर प्रकाश डाला, जिसमें पति-पत्नी में से किसी एक को क्रूरता, व्यभिचार या परत्याग जैसे कुछ कुकरमों के लिये दोषी ठहराया जा सकता है।

○ हद्दिविवाह अधिनियम, 1955 और विशिष विवाह अधिनियम, 1954 तलाक के उद्देश्य से 'दोष' या 'वैवाहिक अपराध' सदिधांत पर आधारित हैं।

● यदि दूसरा पक्ष वैवाहिक अपराध करता है तो यह नरिदोष पक्ष को तलाक प्राप्त करने की अनुमति देता है।

● हद्दिविवाह अधिनियम, 1955 के तहत तलाक के लिये 7 दोष आधार हैं: व्यभिचार, क्रूरता, परत्याग, धर्मांतरण, पागलपन, कृष्ट रोग, यौन रोग और संन्यास।

○ चार आधार हैं जिन पर पत्नी अकेले मुकदमा दायर कर सकती है: बलात्कार, समलैंगिकता, व्यभिचार, भरण-पोषण के आदेश के बाद फरि से सहवास न करना और भरण-पोषण के लिये डकिरी।

● बचाव पक्ष को यह साबति करना होगा कि इस सदिधांत के तहत दिये जाने वाले तलाक के लिये वे नरिदोष हैं।

## नोटः

■ भारत के वधिआयोग ने 1978 और 2009 में अपनी रिपोर्ट में तलाक के अतिरिक्त आधार के रूप में इर्रीटेबल ब्रेकडाउन को जोड़ने की सफारिश की थी।

○ वधिआयोग ने अपनी 71वीं रिपोर्ट (1978) में विवाह के विवाह का असाध्य रूप से टूटना की अवधारणा पर विचार किया।

■ रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया है कि 1920 तक न्यूजीलैंड राष्ट्रमंडल देशों में पहला था जिसने यह प्रावधान पेश किया कि तलाक के लिये न्यायालयों में याचिका दायर करने हेतु तीन वर्ष या उससे अधिक का अलगाव समझौता आधार था।

○ विवाह कानून में वैवाहिक संबंध टूटने की अवधारणा को कई मौकों पर इस तरह व्यक्त किया गया है।

## हद्दू वविह अधनियम, 1955:

### परचिय:

- हद्दू वविह अधनियम, 1955 भारत की संसद द्वारा बनाया गया एक अधनियम है जो हद्दुओं और अन्य लोगों के बीच वविह से संबंधित कानून को संहतिबद्ध एवं संशोधित करता है।
- यह हद्दुओं, बौद्धों, जैनियों, सिखों और उन व्यक्तियों पर लागू होता है जो धर्म से मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी नहीं हैं।

### HMA के तहत तलाक की वर्तमान प्रक्रिया:

- HMA की धारा 13 B में "आपसी सहमत से तलाक" का प्रावधान है, जिसके तहत वविह के दोनों पक्षों को एक साथ ज़िला न्यायालय में याचिका दायर करनी होगी।

- यह इस आधार पर किया जाएगा कि वे एक वर्ष या उससे अधिक की अवधि से अलग-अलग रह रहे हैं तथा एक साथ रहने में सक्षम नहीं हैं और पारस्परिक रूप से सहमत हैं कि उनके वैवाहिक रिश्ते को समाप्त कर देना चाहिये।

- दोनों पक्षों को पहली याचिका की प्रस्तुत की तारीख के कम-से-कम 6 महीने बाद और उक्त तथि के पश्चात् 18 महीने के बाद अदालत के समक्ष दूसरा प्रस्ताव पेश करना चाहिये (बशर्ते, याचिका इस बीच वापस नहीं ली जाती है)।

- छह महीने की अनविरय प्रतीक्षा का उद्देश्य पक्षकारों को अपनी याचिका वापस लेने का समय देना है।

- आपसी सहमत से तलाक की याचिका शादी के एक वर्ष बाद ही दायर की जा सकती है।

- HMA की धारा 14 में कहा गया है, "प्रतिवादी की ओर से अत्यधिक दुष्टता या याचिकाकर्ता को हो रही असाधारण कठिनाई" की स्थिति में तलाक की याचिका तुरंत दायर की जा सकती है।

- परिवारिक न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत आवेदन में धारा 13 B (2) के तहत छह महीने की प्रतीक्षा अवधि की छूट की मांग की जा सकती है।

## तलाक से संबंधित अन्य नरिणय:

- **2021**: सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, "जहाँ सुलह की संभावना हो, भले ही मामूली हो, तलाक की याचिका दायर करने की तारीख से छह महीने अलग रहने की अवधि लागू की जानी चाहिये। हालाँकि यदि सुलह की कोई संभावना नहीं है तो वविह के पक्षकारों की पीड़ा को लंबा खींचना व्यर्थ होगा।

- **2018**: बॉम्बे हाईकोर्ट ने माना कि पत्नी का सात साल से अधिक समय तक बना किसी उचित कारण के वापस न लौटने का इरादा तलाक के लिये एक वैध आधार है।

- जून 2016 में दो न्यायाधीशों की पीठ ने पक्षकारों को परिवारिक अदालत में भेजे बना तलाक देने के लिये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के संबंध में मामले को 5 न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को संदर्भित किया।

- शीर्ष न्यायालय की विभिन्न पीठों द्वारा लिये गए परस्पर वरिधी नरिणयों का हवाला देते हुए इसने सहमत देने वाले पक्षों के बीच वविह को भंग करने के लिये अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों के प्रयोग के लिये व्यापक मापदंडों पर स्पष्टता मांगी है।

- छोटी बेंच ने वर्ष 2016 में वरिषिठ अधिवक्ताओं इंदिरा जयसहि, दुष्यंत दवे, वी गरि और मीनाक्षी अरोड़ा को संवधान पीठ की सहायता के लिये एमकिस कयूरी (अदालत के मतिर) के रूप में नयुक्त किया था।

## संवधान का अनुच्छेद 142 (1):

- अनुच्छेद 142 (1) सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह की डकिरी पारित करने या किसी भी कारण या मामले में 'पूरण न्याय' करने हेतु आवश्यक आदेश देने के लिये व्यापक शक्ति प्रदान करता है।

- अनुच्छेद 142(1) के तहत शक्ति का प्रयोग करने का नरिणय "मौलिक रूप से सामान्य और वशिषिट सार्वजनिक नीति पर आधारित" होना चाहिये।

- सार्वजनिक नीति की मूलभूत सामान्य शर्तें मौलिक अधिकारों, धर्मनरिपेक्षता, संघवाद और संवधान की अन्य बुनियादी वशिषिताओं को संदर्भित करती हैं; वशिषिट सार्वजनिक नीति को न्यायालय द्वारा परिषिति किया गया था जिसका अर्थ है "किसी भी मूल कानून में कुछ पूर्व-परतषिठि नषिध, न कि किसी वशिष वैधानिक योजना के लिये शर्तें और आवश्यकताएँ"।

## भारत में वैवाहिक समानता की स्थिति:

- भारत में तलाक दर और उनके रुझान:

◦ वर्ष 2018 के एक सर्वेक्षण से पता चला है कि 160,000 परिवारों के 93% विवाहति भारतीयों का 'व्यवस्था विवाह' (Arrange Marriage) हुआ था, जबकि वैश्विक औसत लगभग 55% था।

- भारत में प्रति 1,000 लोगों पर 1.1 की न्यूनतम वार्षिक तलाक दर है, प्रत्येक 1,000 में से केवल 13 विवाहों में तलाक की स्थिति उत्पन्न होती है, जिसमें सामान्यतः पुरुष आरंभकर्ता होते हैं।
- प्रचलित सामाजिक मानदंड महिलाओं को तलाक लेने से हतोत्साहित करते हैं और जब वे ऐसा करते हैं, तो उन्हें कानूनी बाधाओं एवं सामाजिक-आर्थिक अलगाव का सामना करना पड़ता है, विशेषकर अगर वे अपने जीवनसाथी पर आर्थिक रूप से निर्भर हैं।

■ महिलाओं की आर्थिक निर्भरता:

◦ भारतीय महिलाओं की कम श्रम-शक्ति भागीदारी दर वित्तीय निर्भरता के कारण उन्हें कटुतापूर्ण विवाह संबंधों के साथ 'समझौता' करने हेतु मजबूर होना पड़ता है।

■ तलाक के बाद महिलाओं की सामाजिक-आर्थिक चुनौतियाँ:

◦ वैवाहिक संबंध का वधितन असमान रूप से महिलाओं को प्रभावित करता है, जिसमें घरेलू आय में अनुपातहीन नुकसान, गृह स्वामित्व खोने का उच्च जोखिम, पुनः साझेदारी के कम अवसर और एकल पालन-पोषण का भारी बोझ शामिल है।

## UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

**??????????:**

प्रश्न. भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य वधियों में अंतर्विष्ट प्रतषिध अथवा नरिबंधन अथवा उपबंध, अनुच्छेद 142 के अधीन सांविधानिक शक्तियों पर प्रतषिध अथवा नरिबंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। नमिनलखिति में से कौन-सा एक इसका अर्थ हो सकता है? (2019)

- (a) भारत के नरिवाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का नरिवहन करते समय लयि गए नरिणयों को कसिी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है।
- (b) भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा नरिमति वधियों से बाधय होता है।
- (c) देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रपति मंत्रिमंडल के परामर्श के बनिा वित्तीय आपातकाल घोषति कर सकता है।
- (d) कुछ मामलों में राज्य वधिनमंडल, संघ वधिनमंडल की सहमति के बनिा वधि नरिमति नहीं कर सकते।

उत्तर: (b)

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**